न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 28/2024

निर्णय दिनांक 23.9.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2024/69

1. फूसाराम पुत्र लिच्छुराम 2. मुरलीधर पुत्र लिच्छुराम जाति पुरोहित निवासी ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करते हैं कि वादीगण के पिता लच्छीराम उर्फ लिच्छुराम की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादीगण के पिता लच्छीराम उर्फ लिच्छुराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके जायज वारिसानों में वादीगण व मघाराम, गीता, गोमती, धनवंती, मोहनी पुत्र/पुत्रियां स्व. लच्छीराम उर्फ लिच्छुराम व शायरदेवी पत्नी लिच्छीराम उर्फ लिच्छुराम हुए है। वादीगण के पिता लच्छीराम उर्फ लिच्छुराम की मृत्युपरांत उनके वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर 1/8, 1/8 हिस्सा की खातेदारी इन्तकाल संख्या 1665 दिनांक 07.02.2023 के दर्ज हो गई, फिर सहखातेदार मघाराम, गीता, गोमती, धनवंती, मोहनी पुत्र/पुत्रियां स्व. लच्छीराम उर्फ लिच्छुराम व शायरदेवी पत्नी लिच्छीराम उर्फ लिच्छुराम ने अपने कुल 6/8 हिस्से को वादीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र द्वारा परित्याग कर दिया जिस पर उक्त खसरा भूमि में वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर रूप से इन्तकाल संख्या 1720 दिनांक 10.05.2023 के जरिये खातेदारी दर्ज हो गई। वादीगण अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। वादीगण के पिता को अपने घर, परिवार, समाज व गांव में लच्छीराम व लिच्छुराम दोनों ही नामों से जाना व पुकाया जाता था इसलिए वादीगण के पिता के नाम तोलियासर स्थित खेत खसरा नम्बर 382 में भी लच्छीराम अंकित [illegible] वादीगण के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी [illegible] पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादीगण के पिता का नाम लिच्छुराम अंकित चला आ रहा है। यानि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम लिच्छुराम चला आ रहा है। वादीगण को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी आदि की नकले दिनांक 12.01.2024 को निकलवाई तो वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नकारी हुई कि वादीगण के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 क्टेयर वाकेरोही तोलियासर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम लच्छीराम ंकित हो रखा है, जबकि वादीगण के अन्य तमाम सरकारी दस्तावेजों में वादीगण के पिता का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम लिच्छुराम रहा है जिसको वादीगण राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने के अधिकारी है। वादीगण के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम लिच्छुराम रहा है । केवल राजस्व रिकार्ड लच्छीराम अंकित चला आ रहा है । वादीगण के अन्य तमाम दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम लिच्छुराम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में फूसाराम पुत्र लिच्छुराम व मुरलीधर पुत्र लिच्छुराम जाति पुरोहित नाम के अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वर्णित खसरा भूमि में वादीगण बराबर रूप से 1/2 हिस्से के खातेदार जिस पर वादीगण का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादीगण उपरोक्त खसरा की भूमि में अपने पिता का सही नाम लिच्छुराम अंकित करवाने के कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादीगण के पिता का नाम लच्छीराम अंकित होने के कारण वादीगण को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादीगण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। वादगत खेत में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही रूप से अंकित नहीं है, इस बाबत वादीगण ने दिनांक 12.01.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि हमारे पिता का नाम लिच्छुराम है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर हमारे पिता का नाम लच्छीराम अंकित चला आ रहा है जबकि हमारे अन्य तमाम दस्तावेजात में हमारे पिता का सही नाम लिच्छुराम अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके पिता का नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादीगण के पिता के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । ऐसी स्थिति में वादीगण के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने पिता के सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर में वादीगण के पिता का नाम लच्छीराम अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादीगण को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादीगण को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादीगण के पिता का नाम सही अंकित नहीं होने से वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:24:16 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी
...डूंगरगढ़ (बीकानेर)

कर ली गई है। वादगत खेत रोही मौजा तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे –

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में लच्छीराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादीगण के पिता का सही नाम लिच्छुराम यानि फूसाराम पुत्र लिच्छुराम व मुरलीधर पुत्र लिच्छुराम की घोषणा की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे वादीगण के पिता का नाम लच्छीराम की जगह लिच्छुराम अंकित किया जाकर दुरूस्ति किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादीगण वाद स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे वादीगण के पिता का नाम लच्छीराम के स्थान पर शुद्ध नाम लिच्छुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:24:16 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

1. फूसाराम 2. मुरलीधर पुत्रगण लिच्छुराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ

—वादीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

— प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 28/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 23.9.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 382 तादादी 12.4300 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे वादीगण के पिता का नाम लच्छीराम के स्थान पर शुद्ध नाम लिच्छुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 09 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की [illegible]	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की [illegible]	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0		0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:24:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ